अनुसूचित 21-प्रपत्र संख्या-113

Memo No
Searching No

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं०..08/....2025

आवेदक सं०....08/....2025

चूँकि श्री..प्राचार्य, साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज, कॉ०प्र० विभाग.... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध निबन्धित सव्यवहारों अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। प्राचार्य, साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज कॉ०प्र० विभाग

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में वहीं।। में और उससे अनुक्रमणियों ।। में ता0..01/01/2016.............. से ता0..22/08/25............तक तलाश की गयी और ऐसा तलासी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज के प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदारी	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	खासमहल शहरी क्षेत्र मौजा - केलाबाड़ी होल्डिंग नं/ जमाबंदी सं० - 888 दाग नं० - 711 रकबा - 12 बीघा 05 कट्ठा 01 धूर (16391.4408) मीटर^2							

जिला निबंधन कार्यालय
साहेबगंज

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1) बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान अवधी दर्ज करें बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

2) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सदव्यवहार और अवभारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

यह सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र टिप्पणी 2 के (ख) के आधार पर तैयार किया गया एवं स्वास्थ्य के प्रतिवेदन के आधार पर।

निम्न व्यक्तियों ने प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 22/08/25

(पदनाम) ~~Clerk~~ C.O Parlin

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) H. Clerk 22/08/25

कार्यालय :- जिला अवर निबंधक

तारीख :- मुहर (जिला निबंधन कार्यालय साहेबगंज) निबन्धक पदाधिकारी का हस्ताक्षर 22/08/25

जिला अवर निबंधक साहेबगंज

टिप्पणीः- इस प्रमाण-पत्र के सदव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निवन्धित दस्ता वेजों में दिया गया हो तो वैसी दस्तावेजों सदव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निवन्धन अधिनियम को 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विर्निदिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

[क] किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

[ख] ✓ और चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक की अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उनके द्वारा ढुंढे गये सदव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढु गये ऐसे सदव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त सम्पत्ति पर पड़ता हो।